

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 08.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



साइबर जागरूकता अभियान - जनपद महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में, जनपद महोबा में आज दिनांक- 08.08.2025 को जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीम द्वारा वृहद स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को साइबर अपराधों से बचाव एवं साइबर सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना है।

जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं सामाजिक संगठनों में जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

प्रमुख साइबर अपराध एवं बचाव उपायों के बारे में आमजन को जानकारी दी गई, जिनमें शामिल हैं:

फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, रैनसमवेयर, पहचान की चोरी, ऑनलाइन स्कैम, डार्क पूल फ्रॉड, डीपफेक, UPI फ्रॉड, क्रिप्टो धोखाधड़ी आदि से जुड़ी ठगी के तरीके एवं उनसे बचाव।

संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करना, मजबूत पासवर्ड व 2FA का प्रयोग, एंटीवायरस अपडेट, साइबर हेल्पलाइन 1930 व वेबसाइट <https://cybercrime.gov.in> पर शिकायत दर्ज करना जैसे सुझाव प्रदान किए गए।

प्रमुख कार्यक्रम:

थाना कोतवाली नगर: ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में छात्रों को साइबर अपराधों पर जानकारी दी गई।

थाना खरेला: गोकुल प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को साइबर जागरूकता प्रदान की गई।

थाना अजनर: छात्राओं को साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय समझाए गए।

थाना पनवाड़ी: विवेकानंद इंटर कॉलेज में पंपलेट वितरण एवं चौराहों पर जनजागरूकता।

थाना चरखारी: रिवई स्थित मॉडल इंटर कॉलेज में साइबर अपराधों पर जानकारी दी गई।

थाना श्रीनगर: राजकीय इंटर कॉलेज में साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता।

थाना कबरई: मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं को साइबर अपराध, महिला सशक्तिकरण से जोड़ा गया।

थाना खन्ना: ब्रह्मचारी इंटर कॉलेज व कस्बा क्षेत्र में जनचौपाल द्वारा व्यापक जागरूकता।

थाना कुलपहाड़: जनतंत्र इंटर कॉलेज सभागार में छात्र/छात्राओं को साइबर जागरूकता प्रदान की गई।

थाना महोबकंठ: राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज ग्राम कनकुआ में छात्रों को साइबर अपराधों पर जानकारी दी गई।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएँ, जिससे आमजन विशेषकर युवा वर्ग, महिलाएं एवं तकनीकी रूप से कम जानकार नागरिक साइबर अपराधों से सुरक्षित रह सकें।

ध्यान दें संदेह होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या <https://cybercrime.gov.in> पर शिकायत दर्ज करें। अपनी निजी जानकारी कभी भी किसी अज्ञात लिंक या व्यक्ति से साझा न करें।

जनपद पुलिस महोबा – आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता।



थाना चरखारी पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता -

- अवैध गांजा के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-
- जिनके कब्जे से 03 किलो 400 ग्राम सूखा नाजायाज गांजा व 02 लाख 90 हजार रुपये नगद बरामद.....।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने, मादक पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना चरखारी पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 07.08.2025 को थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह उ0नि0 रमेश कुमार सिंह, कां0 वीरेश्वर दत्त मिश्र, कां0 आर्यन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.सुरेन्द्र कुमार पुत्र रतीराम उम्र करीब 29 वर्ष निवासी मु0 हाथी खाना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा 2.दशरथ पुत्र अनुरोध उम्र 20 वर्ष निवासी मु0 रामनगर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा जिनके कब्जे से 02 अलग-अलग झोले में नाजायज सूखा गांजा जिसका कुल वजन 03 किलो 400 ग्राम व 2,90,217 रुपये नगद (दो लाख नब्बे हजार दो सौ सत्रह रुपये) बरामद करते हुए मु0 चिन्तेपुरा बहद कस्बा चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 171/2025 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
- 2.उ0नि0 रमेश कुमार सिंह
- 3.कां0 वीरेश्वर दत्त मिश्र 4.कां0 आर्यन सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.सुरेन्द्र कुमार पुत्र रतीराम उम्र करीब 29 वर्ष निवासी मु0 हाथी खाना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

2.दशरथ पुत्र अनुरोध उम्र 20 वर्ष निवासी मु0 रामनगर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी-

अभियुक्तगणों के कब्जे से 02 अलग अलग झोले में सूखा गांजा नाजायज, जिसका कुल वजन 03 किलो 400 ग्राम व 2,90,217(दो लाख नब्बे हजार दो सौ सत्रह रुपये) नगद बरामद होना।



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में, आज दिनांक 08.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह द्वारा गठित उ0नि0 हरिभजन गौतम मय हमराह हे0कां0 ओमप्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त सुरेन्द्र राजपूत पुत्र मुन्ना राजपूत उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 158/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सुरेन्द्र राजपूत पुत्र मुन्ना राजपूत उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 हरिभजन गौतम
2. हे0का0 ओमप्रकाश



साप्ताहिक शुक्रवार परेड में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन पहुंच परेड की सलामी ली गई... रिक्रूट आरक्षियों को अनुशासन, स्वच्छता एवं कर्तव्यनिष्ठा का दिया मूलमंत्र.....।

आज दिनांक 08.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस लाइन पहुंच साप्ताहिक शुक्रवार परेड की गरिमामयी सलामी ली गई। परेड उपरांत टोलीवार निरीक्षण किया गया।

इस दौरान सभी टोलियों को अनुशासन, एकरूपता एवं तालमेल के लिए ड्रिल अभ्यास कराया गया। साथ ही शारीरिक दक्षता बढ़ाने हेतु दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कर पुलिस कर्मियों को मानसिक व शारीरिक रूप से सजग रहने का संदेश दिया।

परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को संबोधित किया गया। अपने प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने रिक्रूट्स को पुलिस सेवा की गरिमा, व्यवहार की मर्यादा, परिसर की स्वच्छता, तथा एकजुटता से कार्य करने के महत्व पर विशेष बल देते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया।

इसके उपरान्त अर्दली रूम कार्यवाही के तहत विभिन्न शाखाओं, गार्ड रजिस्ट्रों एवं कार्यालय व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य के प्रति सजग रहते हुए कार्य संस्कृति में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।

प्रतिसार निरीक्षक (RI) श्री शिवकुमार को निर्देशित किया गया कि चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परेड ग्राउंड सहित सम्पूर्ण पुलिस लाइन परिसर की नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था, मरम्मत एवं अन्य सभी जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे, आरआई श्री शिवकुमार, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री विषयदेव बुन्देला, आरटीसी प्रभारी श्री अरविन्द सिंह गौर सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा ऐतिहासिक कजली मेला एवं जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ड्यूटी में नामित पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग की गयी, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

ऐतिहासिक कजली महोत्सव के दौरान जनपद में अचूक एवं त्रुटि रहित सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु आज दिनांक 08.08.2025 को कीरत सागर अवस्थित कार्यक्रम स्थल में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कजली मेला महोत्सव को शान्तिपूर्ण व सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ब्रीफिंग कर ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को ड्यूटी सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

कजली मेला महोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व/निर्देशन पर सुरक्षा के व्यापक स्तर पर पुलिस व्यवस्थापन किया गया है, सुरक्षा को अचूक बनाये रखने के लिये अस्थाई रूप से एक मेला कोतवाली जिसके प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब त्रिपाठी बनाये गये हैं साथ ही अस्थाई रूप से तीन चौकियां बनाई गयी हैं इसके अतिरिक्त सादे वस्त्रों (एल.आई.यू.) में पुलिस बल को तैनात किया गया है एवं विभिन्न परिस्थितियों के लिये Quick response team (QRT) गठित की गयी है जो एलर्ट मोड में रहेंगी साथ ही पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को रिजर्व के रूप में भी रखा गया है, कार्यक्रम के दौरान अग्नि सुरक्षा से बचाव हेतु उच्च क्षमता वाले फायर टेण्डर को एलर्ट मोड में रखा जायेगा, इसके अतिरिक्त जनपद में यातायात व्यवस्था हेतु आयोजन स्थल के आस-पास सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात डायवर्जन किया गया है, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित बनाये रखने हेतु यातायात पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की ड्यूटी महत्वपूर्ण प्वाइंटो में लगायी गयी है।

ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके ड्यूटी प्वाइंट्स व उन प्वाइंट्स की संवेदनशीलता के विषय में आवश्यक जानकारियां प्रदान कर ब्रीफ किया गया, निर्देशित किया गया कि सभी सतर्क रहें, अवांछनीय गतिविधि वाला कोई भी व्यक्ति आपकी नजर से बचना नहीं चाहिये, सभी अधिकारी/कर्मचारी एक-दूसरे से समन्वय बना के रखें, जो भी कमियां पायी जाये उनसे उच्चाधिकारियों को तत्काल अवगत कराते हुये उन कमियों को दुरस्त कराना सुनिश्चित करेंगे, सभी अधिकारी/कर्मचारी जनता से मधुर व्यवहार करेंगे कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर पर पायी गयी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

